न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2021	2021/189	08.10.2021	20.08.2024

1.फतेहराम पुत्र श्री थानाराम जाति माली,
2.हुकुचंद पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली,
3.कैलाश पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी भैंसवाडावत तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1.इलियास पुत्र श्री ईमरत जाति मेव,
2.समसू पुत्र श्री टुण्डल जाति मेव,
3.अशरफ पुत्र श्री जगदेव जाति मेव,
4.रूजदार पुत्र श्री लीला जाति मेव,
5.रसीद पुत्र श्री हसना जाति मेव,
6.मकसूदन पत्नी श्री धोका खां जाति मेव,
7.रफीक पुत्र श्री मुंशी खां जाति मेव, निवासीयान भैंसडावत, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
8.भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

9.भजन पुत्र श्री छज्जू जाति माली निवासी भैंसडावत तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 07.11.2012 व सनद पट्टा दिनांक 08.11.2012 जिसके द्वारा अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 की खरीदशुदा आराजीयात मुन्दर्जे पैरा नं (1) का आवंटन गलत तरीके से रेस्पोडेंट सं. 1 ला. 7 के हक में किया गया है, बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांटान।

उपस्थितः–

01.कु0 सुषमा शर्मा –वकील अपीलाण्ट्स
02.चौधरी सरदार खां –वकील रेस्पोडेंट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 07.11.2012 व सनद पट्टा दिनांक 08.11.2012 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आज्ञा दिनांक 07.11.2012 व सनद पट्टा दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

08.11.2012 की कोई जानकारी अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 को नहीं थी। दिनांक 04.02.2013 को रेस्पोडेंट सं. 1 ला. 7 द्वारा हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की व खड़ी फसल गेहूं को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने ऐतराज किया व गाँव के लोगों को इकट्ठा किया तो रेस्पोडेंटान सं. 1 ला. 7 ने बताया कि उन्होंने इस जमीन का आवंटन करा लिया है व सनद लेकर इंतकाल भी चढ़वा लिया है। इस पर उसी दिन दिनांक 04.02.2013 को आवंटन सनद पट्टा व इन्तकाल की जानकारी हुई उसी दिन नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 07.02.2013 को मिली। वकील साहब से सलाह मशवरा किया तथा पैसों का इंतजाम कर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। ऐतिहात के तौर पर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.12, 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.16, 111 रकबा 0.13 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर का 1/2 हिस्सा हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. ९ का खरीदशुदा है जिस पर अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. ९ काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। रेस्पोडेंटान द्वारा गलत तरीके से हमारी खरीदशुदा आराजी का आवंटन व सनद पट्टा हासिल किया गया है जिस आदेश व सनद पट्टे के खिलाफ यह अपील निम्न वजूहात के साथ पेश की जा रही है। आराजी ख.नं. 108 रकबा 12 बिस्वा, 109 रकबा 18 बिस्वा, 110 रकबा 16 बिस्वा, 111 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघाा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी में से 1/2 हिस्सा हजारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की गैर खातेदारी की आराजी थी तथा 1/2 हिस्सा साधुसिंह व शेरसिंह पुत्रान लालसिंह व रिछपाल कौर व अमरजीत कौर पुत्रियाँ लालसिंह की खातेदारी का था। वर्तमान अपील में हजारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गैर खातेदार का 1/2 हिस्सा विवादित है। हजारासिंह के 2 पुत्र व 4 पुत्रियाँ है जो क्रमशः बक्शीसिंह व भागसिंह पुत्रान हजारासिंह तथा वीरोकौर, राजकौर, हरबंशकौर व ईकबाल कौर पुत्रियाँ हजारासिंह है। हजारासिंह के देहावसान के बाद उसके सभी वारिसान बक्शीसिंह, भागसिंह, वीरो कौर, राज कौर, हरबंश कौर, ईकबाल बोस द्वारा दीगर आराजीयात सहित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 108 रकबा 12 बिस्वा, 109 रकबा 18 बिस्वा, 110 रकबा 16 बिस्वा, 111 रकबा 13 बस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत के 1/2 हिस्से का बेचान जसवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी भैंसड़ावत को मुबलिग 3,00,000/— रुपये में बेचान कर दी तथा कब्जा भी जसवीर सिंह को सम्हलवा दिया। जिस बेचान के संबंध में एक ईकरारनामा बक्शीसिंह, भागसिंह, वीरोकौर, राजकौर, हरबंशकौर, ईकबाल कौर द्वारा जसवीर सिंह के हक में तहरीर किया गया।

अराजी मुतनाजा बी.नं. 109, 110, 111 में अपीलांटानब ભાઈ વેરાભ बहतोजी यात स ने साधूसिंह व शेरसिंह का 1/2 हिस्सा खरीद कर लिया था, उक्त खसरा नम्बरों

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

का छोटे टुकड़े होने के कारण जसवीर सिंह को काश्त करने मे परेशानी होती थी तथा जसवीर सिंह को पैसों की आवश्यकता थी इस कारण जसवीरसिंह ने उक्त आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 108, 109, 110, 111 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत का 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 26.03.2012 को हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 के हक में मुबलिग 6,00,000/— रुपये शब्देन छः लाख रुपये में कर दिया तथा कब्जा भी हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 को सम्हलवा दिया। जिस संबंध में जसवीरसिंह द्वारा एक ईकरारनामा बैय दिनांक 26.03.2012 को अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 के हक में तहरीर किया गया जिस पर हरवंश कौर व नरेन्द्र कौर के भी अंगूठे कराये गये थे। इस प्रकार अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 खरीद के आधार पर आराजी मुतनाजा पर शांतिपूर्वक काबिज है। असल रेस्पोडेंटान का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा, ना ही आराजी मुतनाजा से रेस्पोडेंटान का कोई वास्ता रहा है ऐसी सिथति में रेस्पोडेंटान के हक में किया गया आवंटन व जारी सनद पट्टा विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाने योग्य है। बाकी उज्ज्र वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत की आज्ञा आवंटन आदेश दिनांक 07.11.2012 व सनद पट्टा सं. पुर्न/12/183 दिनांक 08.11.2012 निरस्त किया जाकर आराजी मुतनाजा ख.नं. 108 रकबा 12 बिस्वा, 109 रकबा 18 बिस्वा, 110 रकबा 16 बिस्वा, 111 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के 1/2 हिस्से व आवंटन व सनद पट्टा अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 9 के हक में जारी किये जाने की आज्ञा सादिर की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील विवादित आराजीयात वाके ग्राम भैंसडावत की 1/2 हिस्से की आराजी हजारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की गैर खातेदारी में दर्ज आराजी को मृतक हजारासिंह के वारिसान के द्वारा जसवीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी भैंसडावत को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

गया। उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है। परन्तु उक्त हजारासिंह के वारिसान के द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 11.02.1999 को रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 के नाम किया गया। उक्त इकरारनामे के आधार रेस्पोडेन्ट्स 01 लगायत 07 के द्वारा उपखण्ड कार्यालय लक्ष्मणगढ में निष्क्रांत कृषि भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने का आवेदन किया गया। जिसका उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के द्वारा सनद पट्टा संख्याः–पुनर्वास/12/183 दिनांक 08.11.2012 रेस्पो0 01 लगायत 07 के पक्ष में जारी किया गया। उक्त सनद पट्टे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1177 दिनांक 12.12.2012 को स्वीकार होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 07 के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय भू आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 07.11.2012 के द्वारा विधिवत व कानूनन सनद पट्टा के द्वारा खातेदारी आदेश प्रदान किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट्स साबित नहीं होने पर खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

न्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर